तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.25	पत्रावली पेश हुई। पेरोकारराज उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 2 के अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र सुनी गयी। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण इस आदेशिका के तहत किया जा रहा है। तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्राथमिक आपत्ति इस आशय का पेश किया कि उक्त अपील इंतकाल संख्या 62 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जबकि इन्तकाल संख्या 62 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2003 के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है इसलिए यह अपील मूल आदेश के विरूद्ध नहीं होने के कारण अपील अपीलांट खारिज योग्य है। मूल आदेश इस न्यायालय का होने के कारण यह अपील सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है और ना ही यह न्यायालय अपने स्वयं के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सुनने का अधिकार ही हासिल है। इसलिए इस आधार पर भी अपील अपीलांट खारिज योग्य है। इन्तकाल संख्या 62, इंतकाल संख्या 64 व 902 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है कानूनन एक इंतकाल की एक ही अपील होती है, जबकि अपीलांट द्वारा तीन इंतकालों की एक ही अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन चलने योग्य नहीं होने के कारण एवं सभी इंतकाल अलग–अलग प्रकृति की होने के कारण सभी इंतकालों की अलग–अलग अपील होनी चाहिए जिसका ज्ञान अपीलांट को होते हुए भी तीनों इंतकालों की एक ही अपील पेश की है जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट द्वारा यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, जबकि समस्त इंतकाल उनके स्वयं के द्वारा स्वीकृत किये गये है इसलिए इन इंतकालों की जानकारी उनको स्वीकृत होने के समय से ही रही है इसलिए अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है तथा मियाद में छूट का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील अपीलांट मृत व्यक्तियों के खिलाफ प्रस्तुत की गयी है। अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। प्रार्थना–पत्र के हमराह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर निर्णय दिनांक 05.04.2003 अनवानी प्रकरण रतनी देवी बनाम स्टेट की प्रति, इंतकाल	

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर व तारी...
अहकाम जो ...
हुक्म की ताम...
मे जारी हु...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या 62 की प्रति एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 की प्रति पेश की।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना–पत्र सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील इंतकाल संख्या 62 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जबकि इन्तकाल संख्या 62 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2003 के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है इसलिए यह अपील मूल आदेश के विरूद्ध नहीं हैं। इन्तकाल संख्या 62, इंतकाल संख्या 64 व 902 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है कानूनन एक इंतकाल की एक ही अपील होती है, जबकि अपीलांट द्वारा तीन इंतकालों की एक ही अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन चलने योग्य नहीं हैं। बहस में आगे कथन किया कि अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, जबकि समस्त इंतकाल उनके स्वयं के द्वारा स्वीकृत किये गये है इसलिए इन इंतकालों की जानकारी उनको स्वीकृत होने के समय से ही रही है इसलिए अपील अपीलांट स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है तथा मियाद में छूट का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट की ओर से पेरोकारराज द्वारा प्रार्थना–पत्र की बहस में कथन किया कि उक्त अपील मूल इंतकाल संख्या 62 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। इंतकाल संख्या 62 के उपरान्त स्वीकृत इंतकाल संख्या 64, 469 एवं 902 मूल इंतकाल से संबंधित होने के परिणामस्वरूप जैर अपील में उपरोक्त इंतकालों के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है। मियाद बिन्दु का कथन प्रार्थना–पत्र के अंकित किया गया है उसके संबंध में कथन किया कि हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के उपरान्त उपरोक्त इंतकालों के संबंध में तथ्य अपीलांट के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद अंदर मियाद अपील पेश की गयी है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 2 आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

3/9/17

उपखण्ड अधिकारी
डीग

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। मियाद बिन्दु के तहत प्रस्तुत आपत्ति के तहत अपीलांट का कथन कि उक्त इंतकालों के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त से जैर अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की गयी है। उक्त तथ्य की सार्थकता अपील के हमराह प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है। अतः प्रथम सूचना दिनांक के आधार पर अपील अपीलांट अंदर मियाद प्रस्तुत की गयी है।

इसके अतिरिक्त मूल विचारणीय तथ्य हो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है कि जैर अपील इंतकाल संख्या 62 इस न्यायालय द्वारा अनवानी प्रकरण रतनी बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 05.04.2003 के द्वारा वाद स्वीकार किया जाकर वादीनी को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 05.04.2003 की पालना में जैर अपील इंतकाल संख्या 62 स्वीकृत किया गया। जिसके पश्चात्वर्ती जैर अपील इंतकाल संख्या 64, 469 एवं 902 स्वीकृत हुवे। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मूल आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर की पालना में स्वीकृत इंतकाल की अपील मूल आदेश के विरूद्ध किया संधारणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा उक्त अपील खारिज की जाकर अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि मूल आदेश के विरूद्ध विधिक तथ्यों के आधार पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करें।

आदेश आज दिनांक 01/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर